International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 7.065
Vol.7 No.5 May – June 2020

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान

डॉ० मंजूषा श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण २००७-२००८ एवं २००९-२०१० के नेशनल सैंपल सर्वे अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अनुमान लगाया है कि कुल कामगारों का ९३-९४ प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी ५० प्रतिशत से अधिक है। असंगठित कामगारों की अधिक संख्या (लगभग ५२ प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे बड़े क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में नियोजित कामगार,घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, आटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं होती।

वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि काम की स्थिरता नहीं होती एवं अक्सर उनके बच्चों की पढाई भी छूट जाती है। शहरों में वह झुग्गी में रहते हैं जहां घर एवं शौच का प्रबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रसूति लाभ जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनके लिए नहीं हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम १९२३, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम १९६१, औद्योगिक उपवाद अधिनियम १९४७, उपदानसंदाय अधिनियम १९७२, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम १९५२ आदि में अधिनियमित विधियाँ वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सारे तथ्यों का मतलब है कि आम तौर से शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते है।

असंगठित क्षेत्र की परिभाषा

वह सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और जिसके रोजगार की शर्तें तय नहीं हैं और नियमित रूप से असंगठित क्षेत्र माना जाता है। इस सेक्टर में किसी भी सरकारी नियम-कानून का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में प्रवेश काफी आसान है क्योंकि इसके लिए किसी संबद्धता या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकार असंगठित क्षेत्र को विनियमित नहीं करती है, और इसलिए कर नहीं लगाया जाता है। इस क्षेत्र में उन छोटे आकार के उद्यम, कार्यशालाएं शामिल हैं जहां कम कौशल और अनुत्पादक रोजगार हैं। श्रमिकों के काम के घंटे तय नहीं हैं। इसके अलावा, कभी-कभी उन्हें रविवार और छुट्टियों पर काम करना पड़ता है। उन्हें अपने काम के लिए दैनिक मजदूरी मिलती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से तुलनात्मक रूप से कम है।

भारत में असंगठित क्षेत्र

भारत में, लगभग ८० प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है तथा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ५० प्रतिशत इस क्षेत्र द्वारा योगदान दिया जाता है।

असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फहर एंटरप्राइजेज इन द अहर्गेनाइज्ड सेक्टर/एनसीईयूएस) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में १० से कम श्रमिकों वाली सभी अनिगमित निजी संस्थाएं सम्मिलित हैं जो वस्तु तथा सेवाओं के विक्रय अथवा उत्पादन में संलग्न हैं।

असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं

निम्न संगठनात्मक स्तरः आकार में छोटा, आमतौर पर १० से कम कर्मचारी एवं अधिकांशतः परिवार के निकटतम सदस्यों से कार्य लिया जाता है।

औपचारिक क्षेत्र की तुलना में प्रवेश तथा निकास सरल होता है।

सीमित पूंजी निवेश देखने को मिलता है।

प्रायः श्रम-गहन रोजगार, निम्न स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है; जैसा कि कार्यकर्ता कार्य के दौरान सीखते हैं, आमतौर पर कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है;

औपचारिक अनुबंधों के विपरीत श्रम समझौते आकस्मिक कार्य एवं/या सामाजिक संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं; कभी-कभी, नियोक्ता एवं कर्मचारी के मध्य संबंध अलिखित तथा अनौपचारिक होते हैं जिनमें बहुत कम या कोई अधिकार नहीं होते हैं।

असंगठित क्षेत्र के मुद्दे

अपर्याप्त सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकः अधिकांश उद्योगों, विशेष रूप से खनन में, अपर्याप्त सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानक देखे जाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में पर्यावरणीय खतरे सामान्य हैं।

न्यूनतम मजदूरी में अनियमितताएंः श्रमिकों के वेतन स्तर तथा आय की जांच करने वाले अधिकांश अध्ययनों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दैनिक मजदूरी मजदूरी की न्यूनतम दर से कम है।

कार्य के दीर्घ घंटेः असंगठित क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य करना भारत में आम है, जो श्रम एवं नियामक मानदंडों से परे है।

निर्धनता एवं ऋणग्रस्तताः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में संगठित क्षेत्र में उनके समकक्षों की तुलना में अत्यधिक निर्धनता पाई जाती है।

सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुप्रयोज्यताः ऐसे समय होते हैं जब एक कर्मकार आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, रोग अथवा वृद्धावस्था इत्यादि के कारण। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोखिम कवरेज प्रदान करने एवं बेरोजगारी या स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे संकट के समय मूलभूत जीवन स्तर के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु शायद ही कोई सामाजिक सुरक्षा उपाय हैं।

उचित भौतिक वातावरण का अभाव स्वच्छता सुविधाओं का अभाव श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। काम पर धुलाई, मूत्रालय तथा शौचालय जैसी सुविधाएं निम्न स्तर की पाई गई हैं।

भारत में असंगठित क्षेत्रः सरकार द्वारा उठाए गए कदम

असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोगः भारत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए २००४ में असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फहर एंटरप्राइजेज इन द अन-अहर्गेनाइज्ड सेक्टर/एनसीईयूएस) नामक एक आयोग की स्थापना करने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

निर्धनता से संबंधित विकास योजनाएंः नेहरू रोजगार योजना, मनरेगा एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जैसी निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

सामाजिक सुरक्षाः सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, संसद ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ अधिनियमित किया। अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम- श्रम योगी मान-धन योजना, पीएम-स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं का भी विमोचन किया गया।

कौशल विकासः कौशल संवर्धन हेतु, सरकार ने कौशल भारत मिशन, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पूर्व शिक्षा की मान्यता इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।

बीमा योजनाः हाल ही के वर्षों में बीमा से सम्बन्धित पाँच प्रमुख योजनाएं लाँच की गई हैं ये इस प्रकार हैं-

१. **राष्ट्रीय बीमा योजना (छचै)** – यह योजना दुकानदारों,, व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए चलाई गई है। लाभार्थी की एंट्री आयु के आधार पर मासिक अंशदान ५५रू० से २००रू तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी मासिक ५०: तक अंशदान देता है, वही केन्द्र सरकार इसमें बराबर का योगदान देती है। असंगठित क्षेत्र के कामगार इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ १० से ४० वर्ष की उम्र के लोग ले सकते हैं। लाभार्थियों की मासिक आय १५००रू से कम होनी चाहिए। दुकानदार या मालिक, जिनके पास छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल हो या जो रियल स्टेट ब्रोकर हों, इस योजना का लाभ उठा

सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है वे म्च्थ्व् म्ैप्ब् च्वैल्ड में सम्मलित न हों। उनका वार्षिक टर्नओवर १.५ करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२. **अटल पेंशन योजना** – यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई है। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा ६ मई २०१५ को कोलकाता में किया गया। इस योजना में १८-४० वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसके पास बैंक या पोस्ट आफिस में एकाउण्ट होना चाहिए। इस योजना में यदि १८ वर्ष का व्यक्ति मात्र ४२रू से लेकर २१०रू तक प्रतिमाह जमा करता है, तो उसे १०००रू से लेकर ५०००रू तक मासिक पेंशन मिलती है। उम्र के साथ प्रीमियम की यह राशि बढ़ती जाती है। ४० वर्श के व्यक्ति के लिए १०००रू से ५०००रू तक पेंशन प्राप्त करने के लिए २६१रू से लेकर १४५४रू तक का अंशदान देना होता है।

३. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (च्डश्रश्रठल्)** – इस योजना का प्रारम्भ ६ मई २०१५ को किया गया। इस योजना के तहत ३३०रू का प्रीमियम वार्षिक भरा जाता है। इस योजना में १८-५० वर्ष की आयु, का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस पॉलिसी में परिपक्वता आयु ५० वर्ष है। केन्द्र सरकार के इस टर्म प्लान को हर वर्ष रिन्यू कराना होता है। इसमें अश्योर्ड एमाउन्ट २ लाख तक है। अर्थात् इस योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर आश्रित को २ लाख रूपये की सहायता मिलती है।

४. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (च्डैठल्)** यह योजना वर्ष २०१५ में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का लाभ १८ से ७० वर्ष की उम्र तक के लोग उठा सकते हैं। इस योजना का सालाना प्रीमियम १२रू मात्र है। **च्डैठल्** का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउन्ट से काटा जाता है। पालिसी खरीदते समय ही बैंक खाते को **च्डैठल्** से लिंक कराया जाता है। पालिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर २ लाख रूपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है। वहीं विकलांग होने पर १ लाख रूपये तक की मदद मिलती है।

५. **प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ;च्डैल्डद्ध** यह योजना वर्ष २०१६ में प्रारम्भ की गई। लाभाथ्री की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान ५५रू से २००रू तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक ५०ः तक अंशदान देय होता है और केन्द्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। इस योजना के लिए लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगार फेरी वाले, कृषि सम्बन्धी कार्य, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे-मील, रिक्शा या आटो रिक्शा चलाने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रू‍प में कामगार लाभ उठा सकते हैं। योजना में सम्मिलित होने की आयु १८-४० वर्ष है। लाभार्थी की मासिक आय १५०००रू से कम होनी चाहिए। व्यक्ति **म्च्थ्व् म्ैप्ब् छच्ै** स्कीम का सदस्य न हो। इस योजना में सम्मिलित व्यक्ति ६० वर्ष की आयु के बाद ३०००रू तक मासिक पेंशन का हकदार होगा। लाभार्थी की मृत्यु पर उसका जीवनसाथी ५०ः मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा। यदि पति एवं पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे ६०००रू मासिक पेंशन के पात्र होंगे। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना- जी०एस०टी० डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की दिशा में कदम हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित के लिये अभी और भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्रम कानूनों में बदलावः श्रम कानून, साथ ही कर नीतियां, कारोबारी माहौल में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्रम नियमों को अधिक लचीली कार्य व्यवस्था के लिए अनुमति प्रदान करनी होगी।

व्यावसायिक खतरों को रोकनाः कार्यस्थल स्तर पर लागत प्रभावी तथा धारणीय उपायों के माध्यम से नीतियां निर्मित कर व्यावसायिक दुर्घटनाओं तथा रोगों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

स्थानीय समर्थनः सामाजिक सुरक्षा को उत्तरोत्तर विस्तारित करने हेतु स्थानीय संस्थागत समर्थन का निर्माण किया जाना चाहिए।

संवेदीकरणः नीति निर्माताओं, नगरपालिका अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षण सेवाओं के संवेदीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि एक निवारक एवं प्रचार दृष्टिकोण के प्रति उनकी पारंपरिक भूमिका को परिवर्तित किया जा सके।

स्वास्थ्य सुरक्षाः अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही कार्य स्थल के स्तर पर प्राथमिक उपचार एवं रोकथाम के मध्य एक कड़ी स्थापित की जानी चाहिए।

भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र

देश की अर्थव्यवस्था में ५० प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा ९० प्रतिशत है।

भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं।

गांवों में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं।

इनमें अधिकतर ऐसे लोग है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों-महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं।

इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक १९४८ के फैक्टरी एक्ट जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को व्यवसाय, रोज़गार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी और सेवा श्रेणी- इन ४ भागों में बाँटा है।

व्यावसायिक श्रेणी में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, बुनकर आदि आते हैं।

रोज़गार की प्रकृति श्रेणी में बंधुआ मज़दूर, प्रवासी मज़दूर और दैनिक मजदूर आते हैं।

विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि आते हैं।

सेवा श्रेणी में घरेलू कामगार, महिलाएँ, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार-पत्र विक्रेता आदि आते हैं।

शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति

मानव-जीवन के प्रारम्भिक सोपान पर किसी भी व्यक्ति के विकास व उसके भावी जीवन का सशक्त आधार स्तम्भ होता है। देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के कार्यरत महिलाओं के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। कार्यरत महिला न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भावी कर्णधार भी हैं और इस आयु में संग्रहीत मूल्यों एवं कौशल के आधार पर व्यक्ति भविष्य में एक खुशहाल परिवार, स्वस्थ समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक योगदान करती हैं। इसी महत्ता के कारण लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा कार्यरत महिलाओं का विकास राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होती है। वैसे तो महिलाओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या से कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन हमारे देश में यह एक ज्वलंत समस्या और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। स्वतंत्रता के ७० वर्षों के बाद भी महिलाओं का शोषण तथा महिला का नियोजन बदस्तूर कायम है। नारियों में समानता की भावना विकसित करने एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष १९७५ को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे ंमहिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। फिर भी भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की आकांक्षाओं को सामाजिक बंधन के कारण साकार रूप नहीं मिल सका है। आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को मानसिक श्रम के अलावा शारीरिक श्रम भी करने को बाध्य होना पड़ता है, जिसके लिये उनकी अशिक्षा, प्रशिक्षण और दिशा निर्देश का अभाव है। अंततः महिलायें कई तरह के शारीरिक श्रम कार्य जैसे कि भवन निर्माण कार्य में बतौर श्रमिक कार्य करने के लिये विवश होती है, जिसके लिये पढ़ाई और योग्यता की जरूरत नहीं होती है। महिला श्रमिकों के श्रम को कई तत्व प्रभावित करते हैं। जिसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता स्वाभाविक है। महिला श्रमिकों को कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिसमें कई कठिनाइयाँ आती है। भारतीय समाज में महिला-पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त है, फिर भी पढ़ी-लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वयं महिला को खुद को बराबर समझने की मानसिकता बन पाई है।

उद्देश्य एवं उपयोगिताः-

श्रमिक महिलाओं के शोषण की जिम्मेदारी हमारे समाज की है और यदि समाज उनकी समस्याओं को ध्यान दे, तो यह भी सम्मानपूर्वक, अधिकार पूर्ण जीवन जी सकती है। भारत में अनेक कानूनी प्रावधान है, फिर भी श्रमिक महिलाओं के शोषण की चर्चाएं गोष्ठी एवं पत्र - पत्रिकाओं में होती है। महिला श्रमिकों का आर्थिक, शारीरिक शोषण न होने पाये, इसके लिये इतने कानून बने हैं, फिर भी महिलाओं के श्रम शोषण की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, पुरुष श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से श्रमिक महिलायें भी कार्य करती हैं। आजकल भवन निर्माण का कार्य निरन्तर हो रहा है, जिसमें अनेक ग्रामीण महिलायें कार्यरत हैं। श्रमिक महिलाओं को भवन निर्माण जैसे कठिन काय में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिक महिलाओं का शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक, शोषण निरन्तर हो रहा है और इनकी समस्याओं को कोई न सुनने वाला है और न ही समस्याओं का समाधान करने वाला है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है।

सदर्भ

१. सक्सेना, एस.सी. (१९९२), 'श्रम समसयें एवं सामाजिक सुरक्षा', रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ।
२. शर्मा, डॉ. एम.के. (२०१०), 'भारतीय समाज में नारी', पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
३. आहुजा राम (२०००), 'सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
४. गिरि, व्ही.व्ही. (१९५७) भारतीय मजदूरों की समस्याएँ एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई।
५. सक्सेना, डॉ. आर.सी. (१९८२) श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ।
६. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (१९९३) भारतीय समाजिक संस्थायें, आगरा बुक स्टोर, आगरा।
७. बावेल, बसन्ती लाल (१९८९) भारत की संवैधानिक विधि, सेन्ट्रल ला एजेन्सी, मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद।
८. शर्मा डॉ. ब्रह्मदेव (१९८६) शिक्षा समाज और व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
९. श्रीवास्तव डॉ. राजमणिलाल (१९६९) मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रसाद प्रकाशन मंदिर कानपुर।
१०. लवानिया, एम.एम. (१९८९) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर,।
११. गुप्ता मोतीलाल (१९७३) भारतीय सामाजिक संस्थायें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए-२६/२ विद्यालय मार्ग तिलक नगर जयपुर।